

एलटीसी की मुख्य विशेषताएं

1	LTC का लाभ दो ब्लॉक वर्ष अर्थात् LTC होम टाउन (अर्थात् 2018-2019 और 2020-2021) और LTC 4 साल (भारत में कहीं भी) (यानी 2018-2021) में लिया जा सकता है।
2	एक ही ब्लॉक के अलग-अलग कैलेंडर वर्षों में भी अलग-अलग अवसरों पर स्वयं और परिवार के लिए रियायत का लाभ उठाया जा सकता है।
3	परिवार एक या एक से अधिक समूहों में यात्रा कर सकता है; लेकिन प्रत्येक समूह को अपनी बाहरी यात्रा की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी वापसी यात्रा पूरी करनी चाहिए।
4	सर्कुलर टूर टिकट रियायत के साथ मिल सकते हैं।
5	आकस्मिक अवकाश, चाइल्ड केयर लीव और विशेष आकस्मिक अवकाश सहित किसी भी छुट्टी के दौरान लाभ उठाया जा सकता है।
6	हस्तांतरण / दौरे के साथ जोड़ा जा सकता है।
7	बिना अवकाश लिए, केवल बंद छुट्टियों के दौरान ही लाभ उठाया जा सकता है।
8	अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के उत्तर-पूर्व, लद्दाख और द्वीप क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के मामले में गृहनगर LTC के विभाजन की अनुमति है। -- प्रस्ताव नंबर 11-1/2016-IC, दिनांक 06.07.2017
	आगे बढ़ाएँ। ---- एक ब्लॉक के लिए रियायत अगले ब्लॉक के पहले वर्ष तक ले जाई जा सकती है, अर्थात्, 2016-2017 के लिए बाहरी यात्रा 31.12.2018 तक की जा सकती है।
	हर साल स्वयं और परिवार के लिए होम टाउन में एलटीसी के हकदार ताजा भर्तियों सहित कर्मचारी रियायत को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ----- नियम,, जीआईडी (8)
9	परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा होम टाउन रियायत और "भारत में कहीं भी" एक ही दो साल के ब्लॉक में दूसरों द्वारा अनुमेय। ----- परिवार के कुछ सदस्य होम टाउन को रियायत का लाभ उठा सकते हैं, जबकि अन्य दो साल के ब्लॉक में "भारत में कहीं भी" के लिए समान लाभ उठा सकते हैं।
10	ताजा भर्तियों के मामले में -केंद्र सरकार की नई भर्तियों में उनके परिवार के साथ चार साल के ब्लॉक में तीन मौकों पर और चौथे मौके पर भारत के किसी भी स्थान पर अपने गृह नगर की यात्रा करने की अनुमति है। यह सुविधा कर्मचारियों को पहली बार सरकार में शामिल होने के बाद लागू चार साल के पहले दो ब्लॉकों के लिए उपलब्ध है। 4 वर्ष के ब्लॉक सरकार में शामिल होने की प्रारंभिक तिथि के संदर्भ में लागू होंगे, भले ही कर्मचारी बाद में सरकार में नौकरी बदल दे। मौजूदा ब्लॉक समान रहेंगे लेकिन नई भर्ती की पात्रता पहले आठ वर्षों की सेवा में भिन्न होगी। जिन लोगों ने 8 साल की सेवा पूरी नहीं की है, वे पहले आठ साल की सेवा 1.9.2008 को भी रियायत के लिए पात्र हैं। ----- नियम, जीआईडी (१) और (२)

Salient features of LTC

1	LTC can be availed in two Block Year namely LTC Home Town (i.e. 2018-2019 & 2020-2021) and LTC 4 Years (anywhere in India) (i.e. 2018-2021).
2	Concession can be availed of for self and family separately on different occasions, even in different calendar years of the same block.
3	Family can travel in one or more groups; but each group should complete its return journey within six months from the date of its outward journey.
4	Circular tour tickets can be availed of in conjunction with the concession.
5	Can be availed of during any leave including causal leave, Child Care Leave and special casual leave.
6	Can be combined with transfer/ tour.
7	Cannot be availed of during closed holidays only, without taking any leave.
8	Splitting of hometown LTC is allowed in case of employees posted in North-East, Ladakh and Island Territories of Andaman, Nicobar Lakshadweep. -- Resoln. No.11-1/2016-IC, dated 06.07.2017.
	Carry forward. ---- Concession for one block can be carried forward to the first year of the next block, i.e., the outward journey for 2016-2017 block can be performed up to 31.12.2018.
	Employees including fresh recruits entitled to LTC to Home Town for self and family every year cannot carry forward the concession. ----- Rule 8, GID (4).
9	Home town concession by some members of the family and “anywhere in india” by others in the same two year block permissible. ----- Some members of family may avail the concession to Home Town while others may avail the same for “anywhere in India” in the same two year block.
10	In the case of fresh recruits. –Fresh recruits to Central Government are allowed to travel to their home town along with their families on three occasions in a block of four years and to any place in India on the fourth occasion. This facility is available to the employees only for the first two blocks of four years applicable after joining the Government for the first time. The blocks of 4 years will apply with reference to the initial date of joining the Government even though the employee changes the job within Government subsequently. The existing blocks will remain the same but the entitlements of the new recruit will be different in the first eight years of service. Those who have not completed 8 years of service the first eight years of service as on 1.9.2008 are also eligible for the concession. ---Rule 8, GIDs (1) and (2).

एलटीसी एडवांस

1	90% तक किराया लिया जा सकता है। यदि परिवार के सदस्यों की आधिकारिक अनुपस्थिति या प्रत्याशित अनुपस्थिति 90 दिनों से अधिक नहीं होती है, तो बाहरी और वापसी यात्रा दोनों के लिए अग्रिम अग्रिम। अन्यथा अग्रिम केवल बाहरी यात्रा के लिए तैयार किया जा सकता है।
2	ट्रेन से यात्रा करने की स्थिति में एलटीसी अग्रिम के आहरण की समय-सीमा 125 दिन (यानी 4 महीने और 5 दिन) है।
3	ऐसे मामले जहां एलटीसी की यात्रा अन्य मोड द्वारा की जानी प्रस्तावित है। हवा / समुद्र / सड़क, एलटीसी अग्रिम आहरण के लिए समय - सीमा केवल 65 दिन रहेगी। - नियम 15, जीआईडी (1)।
4	अधिकारी को अग्रिम के आहरण के दस दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी को रेलवे टिकट नंबर, पीएनआर नंबर इत्यादि प्रस्तुत करना चाहिए।
5	स्वयं और परिवार के लिए अग्रिम रूप से तैयार किया जा सकता है।
6	संबंधित संकाय / कर्मचारी सदस्य संस्थान खातों से अग्रिम ले सकते हैं और ट्रेवल एजेंट यानी मैसर्स अशोक ट्रेवल एंड टूर या मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी को संस्थान के ट्रेवल डेस्क (टेलीफोन नं: 26591999, 26597148, 26597135 , ईमेल आईडी: traveldeskt@admin.iitd.ac.in) से भुगतान कर सकते हैं या सीधे एयर इंडिया आधिकारिक साइट से टिकट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य ई-कॉमर्स साइट से कोई टिकट नहीं खरीदा जाना चाहिए।
7	एलटीसी अग्रिम फॉर्म यहां उपलब्ध है: http://etwo.iitd.ac.in/Form_DuringService/LTCAdvance.pdf

LTC Advance

1	Upto 90% of the fare can be taken. Advance admissible for both outward and return journeys if the leave taken by the official or the anticipated absence of members of family does not exceed 90 days. Otherwise advance may be drawn for the outward journey only.
2	The time-limit for drawal of LTC advance is 125 days (i.e. 4 months and 5 days) in case of journey by train.
3	Cases where LTC journey is proposed to be undertaken by other modes viz. air/sea/road, the time – limit for drawing LTC advance shall remain 65 days only. – Rule 15, GID (1).
4	The official should furnish Railway ticket numbers, PNR No., etc., to the Competent Authority within ten days of drawal of the advance.
5	Advance can be drawn separately for self and family.
6	The concerned faculty/staff member may take advance from Institute accounts and may make payment to the travel agent i.e. M/s Ashoka Travel & Tours or M/s Balmer Lawrie & Company through the Institute Travel Desk (Telephone no.: 26591999, 26597148, 26597135 and Email Id: traveldeskt@admin.iitd.ac.in) or may obtain tickets directly from Air India official site. At any circumstances no tickets should be purchased from any other e-commerce site.
7	LTC advance form available at :- http://etwo.iitd.ac.in/Form_DuringService/LTCAdvance.pdf

एलटीसी दावा

1	जब अग्रिम राशि ली जाती है:
(क)	यात्रा की तारीख से एक महीने के भीतर दावा जमा किया जाना चाहिए। यदि नहीं, तो बकाया अग्रिम एकमुश्त में वसूल किया जाएगा और दावे को उसी रूप में माना जाएगा जहां कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया गया है। इसके अलावा, प्राप्त की गई राशि की तारीख से लेकर रिकवरी की तारीख तक पूरी अग्रिम पर जीपीएफ की ब्याज पर दंडात्मक ब्याज 2% का शुल्क लिया जाएगा।
(ख)	जब दावे को निर्धारित समय की भीतर जमा किया जाता है लेकिन अग्रिम के उपर्युक्त भाग का भुगतान नहीं किया जाता है, उस राशि पर निकले जाने की तारीख से वसूली की तारीख तक ब्याज लगाया जाता है।
(ग)	जब सरकारी सेवक के नियंत्रण से परे वास्तविक कारणों के कारण अग्रिम का एक हिस्सा अतिरिक्त आहरित हो जाता है, तो प्रशासनिक प्राधिकरण, संतुष्ट होने पर ब्याज की छूट प्राप्त कर सकता है।
2	जब कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है, तो वापसी यात्रा पूरी होने के तीन महीने के भीतर दावा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अन्यथा, दावा जब्त कर लिया जाएगा।
3	एलटीसी दावा प्रपत्र यहाँ उपलब्ध है:- http://etwo.iitd.ac.in/Form_DuringService/LTCClaim.pdf

LTC CLAIM

1	When advance is taken:
a.	The claim should be submitted within one month from the date of return journey. If not, outstanding advance will be recovered in one lumpsum and the claim will be treated as one where no advance is sanctioned. Further, penal interest at 2% over GPF interest on the entire advance from the date of drawal to the date of recovery will be charged.
b.	When claim submitted within stipulated time but unutilized portion of advance not refunded, interest is chargeable on that amount from the date of drawal to the date of recovery.
c.	When a part of the advance becomes excess drawal due to genuine reasons beyond the control of the Government servant, the Administrative Authority may, if satisfied, exempt charging of interest.
2	When no advance is taken, claim should be submitted within three months from the completion of return journey. Otherwise, the claim will be forfeited.
3	LTC Claim form available at : http://etwo.iitd.ac.in/Form_DuringService/LTCClaim.pdf